

संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेवा प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए प्रदत्त संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

दिनांक _____ माह _____ वर्ष _____ को हस्ताक्षरित, व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेवा प्राप्त करने हेतु प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा प्राइवेट लिमिटेड एच -19 चतुर्थ चरण, राप्ती नगर गोरखपुर (उ.प्र) 273013 (इसके बाद मात्र 'प्रयास' कहा गया है) तथा _____ पता _____ (इसके बाद उद्यमी लिखा गया है), के लिए सहमति पत्र

इस सहमति पत्र की शर्तें निम्न हैं ।

अ: उपभोक्ता की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'उद्यमी' व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेवा प्राप्त करने लिए निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी सभी जिम्मेदारियों पूरी ईमानदारी से निभायेगा ।

1. उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से मात्र 100 (एक सौ) रूपये की राशि जमा करके अपना पंजीकरण कराएगा।
2. उपभोक्ता अपनी वास्तविक भुगतान क्षमता पूरी ईमानदारी से बताएगा ताकि उसी के अनुसार इस सेवा का शुल्क निश्चित किया जा सके।
3. वह 'प्रयास' द्वारा नामित 'मार्गदर्शक' द्वारा माँगी गई सभी सूचनाएं उसे उपलब्ध कराएगा।
4. आपसी विचार-विमर्श से मार्गदर्शन की अवधि, तौर-तरीका एवं शुल्क एवं खर्चें आदि निश्चित किये जायेंगे।
5. उद्यमी मार्गदर्शक द्वारा किये गए सभी वास्तविक खर्चों कि प्रतिपूर्ति अविलम्ब करेगा।
6. उपभोक्ता हमेशा लिखित रपट आदि पर जोर नहीं देगा और ईमेल या व्हात्सप्य द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा और इन्ही माध्यमों से अपनी प्रगति कि सूचना भी देगा, इससे समय एवं पैसे की बचत होगी।
7. उपभोक्ता मार्गदर्शक द्वारा समय समय पर दी गई सलाह मानेगा और उसी के अनुसार कार्य करेगा और कोई भी समस्या होने पर मार्गदर्शक से संपर्क करेगा और परस्पर सुविधाजनक समय के अनुसार उसका मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।
8. उपभोक्ता परस्पर विचारविमर्श से निश्चित सेवा शुल्क का भुगतान 'प्रयास' द्वारा इंगित माध्यम से करेगा। वह कोई भी भुगतान सीधे मार्गदर्शक को तबतक नहीं करेगा जबतक उसे ऐसा करने को 'प्रयास' द्वारा न कहा जाय।

ब: 'प्रयास' की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'प्रयास' निम्न विवरण के अनुसार स्वेच्छा से निश्चित सेवा शुल्क प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेवा प्रदान करने से सम्बंधित निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभायेगा।

कुल शुल्क की राशि : (रुपये में)-----

अग्रिम राशि:-----

बाकी राशि के भुगतान का तरीका -----

1. उपभोक्ता का पंजीकरण करेगा और उसके लिए एक विशिष्ट कूट संख्या आवंटित करेगा जिसका उपयोग वह सभी पत्राचार आदि में करेगा।
 2. उपभोक्ता के लिए एक मार्गदर्शक आवंटित करेगा और उसका पूर्ण विवरण उद्यमी को और उपभोक्ता का पूर्ण विवरण सम्बंधित मार्गदर्शक को उपलब्ध कराएगा।
 3. आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित मार्गदर्शक उपभोक्ता से संपर्क करेगा।
 4. परस्पर विचार-विमर्श से निश्चित तिथि एवं समय पर मार्गदर्शक उद्यमी से व्यक्तिगत रूप से या आन लाइन तरीके से चर्चा करके आवश्यक सूचनाएँ एकत्र करेगा और और उसके बाद आवश्यकतानुसार उससे कई बैठके करके उसका मार्गदर्शक करेगा।
 5. इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यक गोपनीयता बरती जायेगी और लिखित सलाह भी गोपनीय तरीके से दी जायेगी।
 6. यह प्रक्रिया तबतक चलेगी जबतक उद्यमी चाहेगा। इसका सेवा शुल्क मार्गदर्शक द्वारा किये गए समय पर निर्भर करेगा परन्तु उद्यमी की आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
 7. आन लाइन माध्यम का अधिकाधिक उपयोग खर्च में कमी लायेगा और उद्यमी और मार्गदर्शक के हित में होगा।
1. आवश्यक अनुसंशाओं एवं उनको लागू करने के कार्यक्रम के साथ एक रपट उद्यमी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को भेजी जायेगी।
 2. उद्यमी के अनुरोध पर अनुसंशा के लागू करने की प्रक्रिया पर नजर रखी जायेगी।

उपरलिखित शर्तों में परस्पर विचार विमर्श से परिवर्तन किया जा सकता है

| | |
|--|--|
| उपभोक्ता का हस्ताक्षर ----- पिता का नाम (पता के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) ----- | कृते प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा (प्रा) लि, गोरखपुर |
| गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर पूरा पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) | गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) |

